पाठ - 16

मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य

अधिकार तथा कर्तव्य का अर्थ :- अधिकार लोगों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध एवं क्रिया के नियम है, अर्थात किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार है तो इसका अर्थ है कि किसी दूसरे व्यक्ति को किसी की जान लेने का अधिकार नही है । अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित ऐसे अधिकार हैं जो उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास लिए आवश्यक हैं । तथा राज्य या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है । अधिकारों का वास्तविक अर्थ तभी हैं जब व्यक्ति अपने कर्तव्यो का पालन करें । कर्तव्य किसी व्यक्ति से कुछ किये जाने की अपेक्षा करते हैं । अर्थात अपने बच्चों का ठीक से ध्यान रखना माता - पिता का कर्तव्य है । अध्यापक का कर्तव्य है कि वह छात्रों को शिक्षित करें । अत: अधिकार तथा कर्तव्य जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिये हैं । जीवन को आसान बनाये रखने के लिए अधिकार व कर्तव्य दोनों का पालन आवश्यक है । अधिकार वे है, जो हम अपने लिए दूसरों द्वारा किये जाने की आशा करते हैं । जबकि कर्तव्य वे कार्य है, जो हम दूसरों के प्रति करते है । यदि हमे स्वतत्रंता का अधिकार है तो हमारा यह कर्तव्य भी है कि हम इसका दुरूपयोग नही करे तथा दसरों को किसी तरह की हानि न पहुँचाये ।

मौलिक अधिकार :- किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए तथा विकास के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है । अधिकारों को राज्य द्वारा मान्यता दी गई है तथा संविधान में स्थान दिया गया है । ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं । ये संविधान में उल्लिखित है | जिनकी संविधान आश्वासन देता है और दूसरा ये न्याय योग्य है | अर्थात न्यायालयों द्वारा बाध्यकारी हैं । इन अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति इनकी रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता हैं ।

भारतीय संविधान के खण्ड 3 में ऐसे अधिकारों का प्रावधान है । संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है । ये है :-

(1) समानता का अधिकार (2) स्वतन्त्रता का अधिकार

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (4) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार

(5) संस्कृति एवं शिक्षा संबन्धी अधिकार (6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

विशेष :- मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, 1978 में 44 वे संविधान संसोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाया गया है ।

समानता का अधिकार : इस अधिकार का उद्देश्य कानून का शासन स्थापित करना है, जहाँ पर कानून के समक्ष सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है । भारत में सभी लोगों को कानून का समान संरक्षण तथा कानून के समक्ष समानता उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान पांच (अनुच्छेद 14-18) प्रदान किया गया है । साथ ही यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, और जन्म स्थान के आधार पर किसी भेदभाव पर रोक लगाता हैं ।

कानून के समक्ष समानता :- देश के कानूनों द्वारा सभी को समान संरक्षण मिलेगा । यदि दो व्यक्ति एक समान अपराध करते है तो उन्हें बिना किसी भेदभाव के समान दंड मिलेगा ।

धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नही करेगा । यह सामाजिक समानता के लिए आवश्यक हैं ।

सार्वजनिक रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को अवसर की समानता :- सभी नागरिक रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा राज्य के कर्मचारी बन सकते हैं । वरीयता तथा योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध होंगे । S.C S.T, O.B.C के नागरिकों के लिए रोजगार में आरक्षण का विशेष प्रावधान हैं ।

छुआछूत का उन्मूलन :- किसी भी प्रकार के छुआछूत को कानून के अंतगर्त दंडनीय बताया हैं ।

उपाधियों का उन्मूलन :- ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान रहने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली सर (नाइटवुड) या रायबहादुर जैसी सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया । अब राष्ट्र की उत्तम सेवा करने वालो को ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागरिक पुरस्कार - वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, आदि प्रदान किये जाते हैं । शैक्षिक तथा सैन्य पुरस्कार व्यक्ति के नाम के आगे लगाये जा सकते हैं ।

(2) स्वतन्त्रता का अधिकार :- भारत के संविधान में सभी नागरिकों को स्वतन्त्रता का अधिकार दिया गया है । ये अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में उल्लिखित हैं । इन अधिकारों को चार श्रेणीयों में बाँटा गया हैं ।

(1) संविधान के अनुच्छेद 19 में छः स्वतंत्रताए दी गयी हैं |

विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता

शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा और सम्मेलन करने की स्वतन्त्रता

संघ और संगठन बनाने की स्वतन्त्रता

भारत के राज्यक्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतन्त्रता

भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतन्त्रता (जम्मू व कश्मीर को छोड़कर)

कोई वृती, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतन्त्रता

संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष साबित के सबंध में संरक्षण दिया गया है | कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जायेगा जब तक की उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित हैं, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया हो या वह उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा |किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित नहीं किया जायेगा या दण्डित नहीं किया जायेगा |इस अनुच्छेद के तहत स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा |

संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण प्राप्त है |

संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण - इसके तहत किसी व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है | गिरफ़्तारी का कारण से अवगत कराये बिना जेल में बंद नहीं रखा जायेगा | गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को 24 घंटे के अन्दर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है |

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार :- आपने छोटे बच्चों को चाय की दुकान पर काम करते हुए देखा होगा या गरीब और निरक्षर व्यक्तियों को अमीर लोगों के घरों में जबरदस्ती काम कराते हुए देखा होगा । पारम्परिक रूप से भारतीय समाज श्रेणियों में विभाजित रहा है, जो शोषण को कई रूपों में प्रोत्साहित करता रहा हैं । इसलिए संविधान के अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 में शोषण को रोकने हेतु अधिकार अधिकार प्रदान किये गए हैं ।

मानव के दुर्व्यपार तथा बलात श्रम का प्रतिषेध :- मानव के दैहिक व्यापार को रोकने के लिए तथा भारतीय समाज में गरीब तथा दलित वर्गो के व्यक्ति तथा जमीदारों एवं अन्य बलशाली लोगों के लिए मुफ्त में काम करते थे जिसे बेगार तथा बलात श्रम कहते हैं । इन्हें रोकने हेतु यह अधिकार दिया गया हैं ।

कारखानों या अन्य जोखिम भरे कार्यो में लगे बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध -

(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार :- सभी नागरिकों के लिए अपने धर्म, विश्वास तथा उपासना को बनाये रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं । इसके लिए संविधान में भारत को "पंथनिरपेक्ष राज्य" घोषित किया गया हैं । धार्मिक स्वतंत्रता के सम्बन्ध में संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में उपलब्ध है ।

अन्त: करण की स्वतंत्रता, धर्म के आबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

धार्मिक कार्यो के प्रबन्ध की स्वतंत्रता

किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता :

कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता ।

(5) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार :- लोग अपनी संस्कृति तथा भाषा पर गर्व महसूस करते हैं । इसलिए एक विशेष अधिकार दिया गया है, जिसे सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार के नाम से जाना जाता है ।

अनुच्छेद 29-30 में इस सम्बन्ध में प्रावधान किये गये हैं -

अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण :- किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम, जैन, बौद्ध, इसाई आदि को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार हैं ।

शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गो को अधिकार

(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार :- संविधान में हमारे मूलाधिकारों के संरक्षण के लिए क़ानूनी उपचार प्रदान किया है । यदि हमारे मूलाधिकार का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय द्वारा न्याय की मांग कर सकते हैं । हम सीधे उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते है, जो इन मूलाधिकारों के लिए निर्देश, आदेश अथवा रिट जारी कर सकता हैं ।

शिक्षा का अधिकार (R.T.E) :- शिक्षा का अधिकार वर्ष 2002 में 86 वें संविधान संशोधन के द्वारा मूलाधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद 21 अ के रूप में जोड़ा गया । जिससे 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे (और उनके

माता - पिता) मूलाधिकार के रूप अनिवार्य और मुक्त शिक्षा का दावा कर सकें । 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया हैं ।

मानवाधिकारों के रूप में मूल अधिकार :- सभी मानवों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बहुत से अधिकारों को प्राप्त करने के प्रयास किये गये । जिन्हें मानव अधिकार कहा जाता है । संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानव अधिकारों को अंगीकृत किया गया । कुछ मानवाधिकार है - जैसे- कानून के समक्ष समानता, भेदभाव से मुक्ति, शादी एव परिवार बनाने का अधिकार, विचारों, शांतिपूर्वक सम्मेलन, अबाध भ्रमण, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार आदि । मानवाधिकार भारतीय संविधान के मूलाधिकारों व कुछ नीति निदेशक तत्व अध्यायों में शामिल किया गया हैं । भारत सरकार द्वारा 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है ।

जिससे भारतीय नागरिकों के लिए इन्हें प्रत्याभूत कर सकें ।

मानव अधिकार सार्वभौमिक, मूलभूत और पूर्ण हैं । सार्वभौमिक इसलिए क्योंकि ये सवर्त्र सभी मानवों से सम्बन्धित हैं, मूलभूत इसलिए क्यों कि ये अपरिहार्य हैं, पूर्ण इसलिए क्योंकि ये वास्तविक जीवन के आधार हैं ।

मूल कर्तव्य :- प्रत्येक अधिकार के एवज में नागरिकों से समाज भी कुछ आशा करता है जिन्हें सामूहिक रूप से मूल कर्तव्य कहा जाता हैं । 26 जनवरी 1950 को लागू मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नही किया गया है । 1976 में 42 वे संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 अ में दस मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया । 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होने के साथ एक नया कर्तव्य जोड़ा गया । अब 11 कर्तव्य है । मौलिक कर्तव्यों के उल्लघंन होने पर अर्थात मौलिक कर्तव्यों का ठीक से पालन नही किये जाने पर नागरिकों को दंडित नही किया जायेगा ।

अब 11 मूल कर्तव्य संविधान में दिए गये हैं । भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि ----

संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।

स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को ह्रदय में संजोये रखे और उनका पालन करें ।

भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें ।

देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें ।

भारत के लोगों में समरसता और समान भाईचारा की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं ।

हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व रखें और उसका संरक्षण करें ।

प्राकृतिक प्राचीन पर्यावरण जिसके अंतगर्त वन, झील, नदी और वन्य जीव रक्षा करें ।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें ।

सार्वजनिक सम्पति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें ।

व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढने का सतत प्रयास करें ।

प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह अपने बालक या प्रतिपाल के लिए 6-14 वर्ष के आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करें । (नवीनतम, कर्तव्य 2009 शिक्षा का अधिकार के साथ जोड़ा गया)

मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति :- मौलिक कर्तव्य प्रकृति से आचार संहिता क़ानूनी अनुशासित नहीं हैं । अत: सरकार /संविधान नागरिकों से इन्हें पालन करने की सिर्फ आशा करता हैं, कोई दबाव नहीं हैं । ये मानव की प्रकृति पर निर्भर हैं ।